दिनांक–20.05.2026 को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

---

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् है:–
   (1) श्री नवीन कुमार सिंह, निदेशक
   (2) श्री आदित्य प्रकाश, अपर सचिव
   (3) श्री मो0 वसीम अहमद, विशेष कार्य पदाधिकारी
   (4) श्री निर्भय कुमार सिंह, अवर सचिव
   (5) श्रीमती राज ऐश्वर्या श्री, विशेष कार्य पदाधिकारी
   (6) श्री ललित राही, विशेष कार्य पदाधिकारी

2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी। बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निदेश दिया गया। जो DDC या DPRO बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित है, उनसे स्पष्टीकरण किये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–01, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना)

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेशदिये गयेः–

I. पंचायत सरकार भवन में आधार (AADHAAR) सेवा उपलब्ध कराने की अद्यतन स्थितिः–

विदित हो कि दिनांक–06.05.2026 को आयोजित बैठक में पंचायतों में बचे हुए कार्य को पूर्ण करते हुए दिनांक– 21.05.2026 से 2000 पंचायतो में आधार सेवा शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 1907 पंचायतों में Desktop, 405 पंचायतों में Wired Internet Connection उपलब्ध है। आधार सेवा उपलब्ध कराने हेतु पोर्टल पर Enroll कराये गये 1890 डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के विरूद्ध मात्र 1368 ऑपरेटरों द्वारा ही परीक्षा हेतु पंजीकरण कराया गया है। यह चिन्ताजनक है। इस संबंध में सभी DPRO को निदेश दिया गया कि इसकी समीक्षा कर सभी 2000 पंचायतों में कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का पोर्टल पर Enrollment कराकर प्रशिक्षण कराना तथा परीक्षा हेतु पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें।

अद्यतन स्थिति तक केवल 180 आधार किट का ही क्रय किया गया है। लक्ष्य को देखते हुए सभी DPRO को निदेश दिया गया कि अविलंब पंचायत से आधार किट क्रय कराना सुनिश्चित करेंगें। साथ ही जिन पंचायतो में Wired Internet Connection उपलब्ध नहीं है वहां दो दिनो के अंदर Internet Connection install करना सुनिश्चित करेंगें तथा IP address को Google Sheet पर Update कर विभाग को सूचित करें।

(अनुपालनः–बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

II. सप्तम राज्य वित्त आयोग–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 26 जिलों के 402 प्रखंडों के 6015 पंचायतों के विरूद्ध मात्र 40 पंचायतों के द्वारा ही त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं पर मांगी गयी वांछित सूचना/प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। इस संबंध में सभी DPRO को निदेश दिया गया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सूचना/प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को भेजना सुनिश्चित करें ताकि सप्तम राज्य वित्त आयोग को ससमय उपलब्ध करायी जा सके।

(अनुपालनः–बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

III. अनुरक्षक का मानदेय–

विदित हो कि संकल्प संख्या– 2935 दिनांक– 22.06.2021 द्वारा " दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति" के तहत नल–जल योजना के रख–रखाव हेतु अनुरक्षक के मानदेय का भुगतान पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाता है। परंतु संज्ञान में आया है कि पर्याप्त आवंटन होने के बावजूद भी वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति द्वारा अनुरक्षक के मानदेय का भुगतान ससमय नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में सभी DPRO को निदेश दिया गया कि पंचायतों के माध्यम से समीक्षा कर अनुरक्षक के मानदेय का भुगतान हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः–बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

IV. मुक्तिधाम, शवदाह–गृह, मृत्यु प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्थितिः–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक बिहार में कुल 7841 स्थलों का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें से अबतक प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रतिवेदित माह में 1540 अंत्येष्टि की गयी है तथा वित्तीय वर्ष 2026–27 में निर्धारित अवधि के अंदर 1220 मृत्यु प्रमाण–पत्र निर्गत की गयी है। पटना एवं पूर्वी चंपारण जिलों में प्रतिवेदित माह में शून्य अंत्येष्टि की गयी है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी तथा सभी DPRO एवं DDC को निदेश दिया गया कि प्रतिवेदित माह में किये गये कुल अंत्येष्टियों की जांच कर पोर्टल पर Update करें। साथ ही अतिंम संस्कार हेतु परम्परागत रूप से उपयोग किये जाने वाले सरकारी भूमि का ही सर्वेक्षण किया जाए।

लगातार.....

सभी DPRO एवं DDC को निदेश दिया गया कि शमशाम/कब्रिस्तान में किये गये अंत्येष्टि के मृतकों का मृत्यु प्रमाण–पत्र 24 घंटे के अन्दर मृतकों के संबंधितों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि के अन्दर मृत्यु प्रमाण–पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया के संबंध में पूर्व में सभी संबंधित पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है एवं निदेश भी निहित है।

विदित हो कि बिहार विकास मिशन द्वारा प्रत्येक 15 दिनों पर मोक्षधाम की समीक्षा की जाती है। निदेशित किया जाता है कि सभी DPRO नियमित रूप से इसकी समीक्षा कर अद्यतन प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः–बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

V. पंचायत सरकार भवन के हस्तांतरण एवं क्रियाशीलता की अद्यतन स्थितिः–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक–01.10.2025 को ग्राम पंचायत द्वारा 140, LAEO के द्वारा 367 एवं भवन निर्माण विभाग के द्वारा 322 निर्मित पंचायत सरकार भवन का लोकार्पण किया गया था, परन्तु गया जी, पूर्वी चंपारण, बक्सर, गोपालगंज, वैशाली एवं मधेपुरा जिलो द्वारा उसका हस्तांतरण कर क्रियाशील करने की प्रगति असंतोषजनक है। सभी DPRO एवं DDC को निदेशित किया गया कि जिला पदाधिकारी के माध्यम से लिखित रूप में निर्माण एजेंसी पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर विभाग को सूचित करें तथा एक सप्ताह के अंदर विधिवत ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करते हुए पंचायत सरकार भवनों को क्रियाशील करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) निर्मित पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बिहार में कुल 3023 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया गया है जिसमें से 2570 पंचायत सरकार भवन संचालित है।

संचालित पंचायत सरकार भवनों में 100 में बैंक, 2546 में RTPS केन्द्र, 903 में Post Office, 390 में NOFN, 836 में पुस्तकालय एवं 25 में सुधा पार्लर का संचालन किया जा रहा है। केवल 520 पंचायत सरकार भवनों में ही सफाई कर्मी–सह–सुरक्षा कर्मी की व्यवस्था है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। इस संबंध में सभी DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध सुविधाओं का अपने स्तर से नियमित समीक्षा करें तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

(ग) ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माण किये जा रहे 1069 पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक बिहार में तकनीकी सहायक द्वारा तैयार 747 पंचायतों के प्राक्कलन के विरूद्ध 615 पंचायतों में तकनीकी स्वीकृति, 515 पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा 126 पंचायतों में निर्माण कार्य प्रारंभ की गयी है, जो चिन्ताजनक है। निदेश दिया गया कि यथाशीघ्र सभी पंचायतों में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित किया

लगातार.....

जाए तथा जिन पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है, उन पंचायतों मे निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करें।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

VI. पंचायत सचिव के प्रभार संबंधी प्रतिवेदन एवं 15वीं वित्त आयोग एवं षष्ठम राज्य वित्त आयोग का दिनांक–8 अप्रैल 2026 से 06 मई 2026 तक पोर्टल पर व्यय की अद्यतन स्थितिः–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक कुल 3133 पंचायत सचिवों के विरूद्ध मात्र 692 ही कार्यरत है। शेष 2435 पंचायत सचिव हड़ताल पर है। हड़ताल पर गये पंचायत सचिव के स्थान पर 2079 कर्मियों को अतिरिक्त प्रभार दी गयी है। जिले द्वारा मात्र 508 पंयायत सचिव पर ही आवश्यक कार्रवाई की गयी है, जो चिंताजनक है। निदेश दिया गया कि हड़ताल पर गये पंचायत सचिव पर जिला अधिकारी के स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर विभाग को सूचित करना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः– बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

VII. HSCकी अद्यतन स्थिति :–

स्वास्थ्य उप–केन्द्रों के निर्माण के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 100 HSC के विरूद्ध मात्र 40 HSC का निर्माण पूर्ण हुआ है, यह चिन्ताजनक है। निदेश दिया गया कि शेष स्वास्थ्य उप केन्द्र का निर्माण अविलम्ब पूर्ण करें। साथ ही जिन जिलों में HSC का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, वहाँ कार्य प्रारंभ ना कर आवंटित राशि विभाग को Surrender करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

VIII. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजनाः–

(क). मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक–31.03.2026 तक चतुर्थ चरण मे सभी सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन किया जाना था परंतु अद्यतन स्थिति तक भागलपुर में मात्र 13%, बेगूसराय में 25%, सहरसा में 32%, मधेपुरा में 37% एवं सारण में 40% सोलर स्ट्रीट लाईट का ही अधिष्ठापन किया गया है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी तथा इस संबंध में उक्त जिलों के DPRO को निदेश दिया गया कि एकरारनामा की शर्तो के अनुसार संबंधित एजेंसी पर Penalty लगाकर विभाग को सूचित करें। जिन–जिन जिलों में एजेंसी द्वारा एकरारनामा की शर्तो का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, उनके विरूद्ध एकरारनामा के शर्तों के आलोक में कार्रवाई कर विभाग को सूचित किया जाए। सभी DPRO को निदेशित किया गया कि दिनांक–31.05.2026 तक शत–प्रतिशत सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन सुनिश्चित किया जाए।

लगातार.....

चतुर्थ चरण में कार्यरत एजेंसी द्वारा भागलपुर में 51%, मधेपुरा में 42% ही Material Supply की गयी है। इन जिलो के DPRO को निदेशित किया गया कि यथाशीघ्र संबंधित एजेंसी पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख). सभी चरणों को मिलाकर सिवान, नवादा, अरवल, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, जमुई, बांका, औरंगाबाद, अररिया, मधेपुरा एवं पूर्वी चंपारण जिलों में अधिष्ठापित लाईटों के विरूद्ध CMS पर Integration का प्रतिशत काफी कम है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी तथा निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर CMS पर 100% Integration करना सुनिश्चित करें।

दिनांक– 06.05.2026 को आयोजित बैठक में सभी DPRO को निदेश दिया गया था कि सोलर स्ट्रीट लाईट की अद्यतन स्थिति की जानकारी हेतु दिनांक– 11.05.2026 तक जिला स्तर पर LED Display Pannel लगाकर फोटो विभाग के Whatsapp Group मे भेजना सुनिश्चित करेंगें, परंतु 16 जिले द्वारा LED Display Pannel अधिष्ठापित नहीं किया गया है। उक्त जिलों के DDC/DPRO को निदेश दिया गया कि अविलंब LED Display Pannel अधिष्ठापित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगें।

साथ ही CMS पोर्टल के URL को संबंधित माननीय MP, MLA, MLC एवं मुखिया को जिला पदाधिकारी के माध्यम से लिखित रूप में यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाए ताकि जन–प्रतिनिधि के साथ–साथ आम जनमानस को भी सोलर स्ट्रीट लाईट की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त हो सके।

(ग). जिलों द्वारा प्रावधानित 25% भुगतान की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि नवादा, जहानाबाद, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी एवं समस्तीपुर जिलें में सभी चरणो में कार्यरत एजेंसियों को भुगतान का प्रतिशत निम्न है। इन सभी जिलों के DPRO को निदेशित किया गया कि नियमानुसार जांच करते हुए ससमय विधिवत भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें।

ग्राम पंचायतों द्वारा प्रावधानित 45% भुगतान के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शेखपुरा, वैशाली, नवादा, औरंगाबाद, पटना, सारण, सहरसा एवं बक्सर जिलें में सभी चरणो में कार्यरत एजेंसियों को भुगतान का प्रतिशत निम्न् है। इन सभी जिलों के DPRO को निदेशित किया गया कि नियमानुसार जांच करते हुए ससमय विधिवत भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् / जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

IX. जिलों में लंबित न्यायिक वादों की जिलावार अद्यतन स्थिति :–

S.n	District Name	No. of CWJC	No. of MJC
01	Araria	02	00
02	Arwal	02	00
03	Aurangabad	08	00
04	Banka	00	00
05	Begusarai	05	00

लगातार.....

06	Bhagalpur	03	00
07	Bhojpur	03	00
08	Buxar	05	01
09	Darbhanga	11	00
10	East Champaran	09	00
11	Gaya	05	00
12	Gopalganj	05	00
13	Jamui	08	00
14	Jehanabad	03	00
15	Kaimur	00	00
16	Katihar	06	00
17	Khagaria	10	00
18	Kishanganj	03	00
19	Lakhisarai	01	00
20	Madhepura	01	00
21	Madhubani	10	00
22	Munger	04	00
23	Muzaffarpur	09	00
24	Nalanda	01	00
25	Nawada	06	00
26	Patna	10	00
27	Purnia	01	00
28	Rohtas	08	01
29	Saharsa	00	00
30	Samastipur	11	02
31	Saran	06	02
32	Sheikhpura	01	00
33	Sheohar	00	00
34	Sitamarhi	08	01
35	Siwan	04	00
36	Supaul	02	00
37	Vaishali	12	00
38	West Champaran	01	01
Total		**184**	**08**

सभी लंबित MJC मामलों का 07 दिनों तथा CWJC मामलों का निष्पादन 15 दिनों के अन्दर सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

X. CPGRAM STATUS--

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक बिहार में कुल 92 मामलें लंबित है। विदित हो कि MoPR CPGRAMS से संबंधित मामलों का निष्पादन 21 दिनों के अंदर करना होता है। इस संबंध में सभी DPRO को निदेश दिया गया कि इसकी विस्तृत समीक्षा कर एक सप्ताह के अंदर सभी लंबित मामलों का निष्पादन करना सुनिश्चित किया जाए।

कतिपय यह देखा गया है कि कई जिलों द्वारा CPGRAMS के पोर्टल पर पिछले कई दिनों से Login नहीं किया जा रहा है। विदित हो कि MoPR, भारत

लगातार.....

सरकार से माह में कम से कम 10 बार Login करने का निदेश प्राप्त है। अतः इस संबंध में निदेश दिया गया कि CPGRAMS के पोर्टल पर माह में कम से कम 10 बार Login कर लंबित मामलों का निष्पादन करना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

XI. जन–शिकायत की अद्यतन स्थिति–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक 581 मामलों के विरूद्ध मात्र 182 मामलें में ही जिलो से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें से मधुबनी, पूर्णिया, सहरसा, शिवहर एवं सुपौल जिलों से शून्य प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। सभी DPRO को निदेश दिया गया कि जन–शिकायत से संबंधित सभी मामलो पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए विभाग को प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

साथ ही यह भी देखा गया है कि जिस पदाधिकारी/कर्मी के विरूद्ध परिवाद दायर होता है, उसी से जांच कराकर प्रतिवेदन विभाग को भेज दिया जाता है। इस संबंध में सभी DPRO को निदेश दिया गया कि आरोपित पदाधिकारी/कर्मी से जांच ना कराकर किसी अन्य पदाधिकारी/कर्मी या टीम गठित कर जांच कराते हुए प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगें।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

XII. 15वीं वित्त आयोग/षष्ठ्म राज्य वित्त आयोगअंतर्गत ली गयी योजनाओं के व्यय की अद्यतन स्थितिः–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्न्वत हैः–

15वीं वित्त आयोग		
क्र०सं०	**त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं**	**व्यय प्रतिशत**
01	जिला परिषद्	18.29%
02	पंचायत समिति	13.41%
03	ग्राम पंचायत	6.95%

बक्सर, लखीसराय, दरभंगा एवं भागलपुर जिलो के जिला परिषद् द्वारा शून्य राशि व्यय की गयी है। उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि व्यय की गयी राशि की समीक्षा कर यथाशीघ्र व्यय करना सुनिश्चित करेंगें।

(ख) षष्ठ्म राज्य वित्त आयोगः–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्न्वत हैः–

षष्ठ्म राज्य वित्त आयोग		
क्र०सं०	**त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं**	**व्यय प्रतिशत**
01	जिला परिषद्	39.53%
02	पंचायत समिति	73.27%
03	ग्राम पंचायत	74.08%

लगातार.....

नवादा, दरभंगा, पटना एवं मधुबनी जिलो के जिला परिषद् द्वारा सबसे कम राशि व्यय की गयी है। संबंधित उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एक माह के अंदर कम से कम 50% का व्यय करना सुनिश्चित करेंगें। उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि व्यय की गयी राशि की समीक्षा कर यथाशीघ्र व्यय करना सुनिश्चित करेंगें।

(अनुपालनः–सभी जिलों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

XIII. लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्थिति तथा अनुपालन :–

(क) बिहार के सभी जिलों के लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा की गयी एवं सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया अपने स्तर से अपने जिले के लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा कर उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का समायोजन कराने की दिशा में कार्रवाई करेंगे।

मुजफ्फरपुर, पटना, पश्चिम चंपारण, गया जी एवं सुपौल जिलों के लंबित राशि की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया है कि अपने जिले का लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का समायोजन कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

(ख) Departmental Audit Progress Report (FY: 2024-25)- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 38 जिला परिषद के विरूद्ध 21, 533 पंचायत समिति के विरूद्ध 424, 8053 पंचायत के विरूद्ध 6863एवं 8053 ग्राम कचहरी के विरूद्ध 6949 में ही ऑडिट कार्य पूर्ण किया गया है। निदेश दिया गया कि दिनांक–31.05.2026 तक सभी ऑडिट कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(मनोज कुमार)
सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः–9प०/विविध–01–247/2023/8145**/पं०रा० पटना, दिनांक**26/5**/2026**
प्रतिलिपिः–बिहार के सभी जिला पदाधिकारी/सभीमुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.5.26
(निर्भय कुमार सिंह)
अवर सचिव

लगातार.....

ज्ञापांकः–9प० / विविध–01–247 / 2023 / 8145 / पं०रा० पटना, दिनांक 26 / 5 / 2026

प्रतिलिपिः–सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव / निदेशक के आशुलिपिक / अपर सचिव के आशुलिपिक / सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी / सभी प्रभारी पदाधिकारी / सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निर्भय
26.5.26

(निर्भय कुमार सिंह)
अवर सचिव

ज्ञापांकः–9प० / विविध–01–247 / 2023 / 8145 / पं०रा० पटना, दिनांक 26 / 5 / 2026

प्रतिलिपिः–आई०टी०मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को भेजते हुए निदेशित किया जाता है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

निर्भय
26.5.26

(निर्भय कुमार सिंह)
अवर सचिव